RRHo. 4705
18/12/13

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 16/12/13

-: आदेश :-

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रथम श्रेणी आरक्षित राजकीय आवास संख्या I/1, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को सामान्य प्रशासन पूल में हस्तानान्तरित करते हुए निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की मांग प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन पूल से बिना पारी राजकीय आवास आवंटन किया जायेगा।

श्री सी.के. मैथ्यू, आईएएस, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को उनकी प्रथम श्रेणी की पूर्व वरियता संख्या 29/93 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2014 को देखते हुए तथा स्वयं का निजी आवास 201, पर्ल प्लेजर, बापू नगर, जयपुर होने के कारण राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए साधारण किराये के तीन गुणा भुगतान की शर्त पर व निम्न शर्तों के आधार पर राजकीय आवास संख्या I/1, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर का एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव (प्रशासन) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ़ –13000032 दिनांक 16.12.2013 के क्रम में।

11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
12. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जयपुर शहर, जयपुर
14. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, हीराबाग, जयपुर।
16. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
17. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. संबधित अधिकारी।
19. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
20. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
21. वरिष्ठ लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
22. समस्त अनुभाग सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 5, 6) विभाग।
23. केयर टेकर, हरिश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
24. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव